कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक-3213 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक– 19-03-2018.

सेवा में,

संयुक्त अध्यक्ष,
मे0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0,
सेक्टर 28, नोएडा।

विषयः– मे0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम–कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874हे0 का वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

सन्दर्भः– आप द्वारा दिनांक–11.01.2017 को हार्ड कापी में प्राप्त कराया गया प्रस्ताव तथा इस कार्यालय का पत्रांक–2810/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–25.02.2017, पत्रांक–1113/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–03.10.2017, पत्रांक–3111/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–10.03.2018 व आपका दिनांक रहित पत्र जो इस कार्यालय में दिनांक–31.08.2017 को प्राप्त है।

महोदय,

अवगत कराना है कि आप द्वारा विषयक प्रकरण का प्रस्ताव दिनांक–11.01.2017 को हार्ड कापी में इस कार्यालय में प्राप्त कराया गया था। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित चेक लिस्ट से परीक्षणोपरान्त इस कार्यालय का पत्रांक 2810/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 25.02.2017 द्वारा उक्त प्रस्ताव में कमियों का उल्लेख करते हुए इस आशय से प्रस्ताव वापस किया गया था कि आप सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र/अभिलेख प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रस्ताव की 06 प्रति इस कार्यालय उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिसके क्रम में आप द्वारा अपने दिनांक रहित पत्र (जो इस कार्यालय में दिनांक–31.08.2017 को प्राप्त है) के माध्यम से प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त कराया गया है। प्रस्ताव में संलग्न अभिलेख/प्रमाण–पत्र का परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित कमियों का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय का पत्रांक–1113/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–03.10.2017 द्वारा विषयक प्रकरण से सम्बन्धित प्राप्त कराया गया प्रस्ताव की पांच प्रति मूल में इस आशय से वापस किया गया था कि पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अभिलेख प्रस्ताव के साथ संलग्न कर पूर्ण प्रस्ताव की पांच प्रति में इस कार्यालय में उपलब्ध करानें का कष्ट करें तथा इस कार्यालय के पत्रांक–3111/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–10.03.2018 द्वारा पुनः अनुस्मारक पत्र दिया गया, परन्तु आप द्वारा आज तक पूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

1. प्रस्ताव के साथ प्रश्नगत क्षेत्र का संलग्न मानचित्र के सम्बन्ध में दिनांक–19.02.2017 को अधोहस्ताक्षरी तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाला व आपके प्रतिनिधि के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण करने के उपरान्त प्रश्नगत योजना से सम्बन्धित मानचित्र को मौके के अनुसार सही करते हुए जी0पी0एस0 रीडिंग अंकित कर, मानचित्र तैयार करने हेतु इस कार्यालय का पत्रांक 2824/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 25.02.2017, पत्रांक–3097/ ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 25.03.2017 तथा पत्रांक 3607/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 03.05.2017 द्वारा आपसे अनुरोध किया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार मानचित्र संशोधित नहीं किया गया है। अतः मौके के अनुसार सही मानचित्र संलग्न करें।

–पेज 2 पर–

2. प्रस्ताव के साथ परियोजना में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का मानचित्र व उपयुक्तता प्रमाण–पत्र एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न नहीं है। जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 1319/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–25.10.2017 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर से अनुरोध किया गया है। अतः परियोजना में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का मानचित्र व उपयुक्तता प्रमाण–पत्र एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर से प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

3. इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार के पत्रांक–एफ नं0–11–9/1998–एफसी (पीटी), दिनांक 03.08.2009 में एफ0आर0ए0 2006 के अन्तर्गत दियें गये निर्देशों के अनुरूप सम्बन्धित ग्राम सभाओं से प्रस्ताव पारित कराकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जिलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करनें का अनुरोध किया गया था। परन्तु आप द्वारा ग्राम सभा की संस्तुति, उप खण्ड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति की रिपोर्ट तो संलग्न किया गया है परन्तु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जिलाधिकारी से प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।

4. प्रस्ताव के साथ प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार व व्यास श्रेणीवार विवरण संलग्न नहीं है।

उक्त के क्रम में आपसे पुनः अनुरोध है कि आप आप उपरोक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अभिलेख प्रस्ताव के साथ संलग्न कर पूर्ण प्रस्ताव की पांच प्रति में इस कार्यालय में उपलब्ध करानें का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। उक्त प्रस्ताव की पांच प्रति अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अमर बहादुर)
वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या — अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमर बहादुर)
वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।